डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान हेमन्त कुमार बनाम लक्ष्मीनारायण

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 89/2016

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—ब—रू ......— व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दई व .... डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खाता स. 20 वाके ग्राम नंगला मई तहसील नदबई स्थित है के ख.न. 1127 रकवा 0.01, 1128 रकवा 0.02, 1129 रकवा 0.14, 1140 रकवा 0.14 किता 4 कुल रकवा 0.31 हैक्ट. तथा खाता स. 21 के ख.न. 1078 रकवा 0.05, 1079 रकवा 0.05, 1090 रकवा 0.10, 1091 रकवा 0.09, 1143 रकवा 0.15, 732 रकवा 0.27 किता 6 रकवा 0.71 वाके ग्राम नगला मई तहसील नदबई स्थित है पर वादी स. 1 लगायत 3 को विवादित आराजी के 1/16 हिस्से के वा हिस्सा बरावर व वादी स. 4 लगात 7 को 1/16 हिस्से के वा हिस्सा वराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तथा वादी स. 1 लगायत 3 के पिता रोशनलाल व वादी स. 4 लगायत 7 के पिता व पति घसीडा के नाम के आगे जाति जाट के स्थान पर जाति नाई दुरूस्त कि जाती है तथा वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बेज — मुबलिग — — — — — — — बावत — — — — — — — — — — — खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह —————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.03.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 28/3/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीशनर			बवत-इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. हेमन्त कुमार पुत्र रोशनलाल जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. योगेन्द्र कुमार पुत्र रोशनलाल जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मानवती पुत्री रोशनलाल जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. मनोज कुमार पुत्र घसीड़ा जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. पवन कुमार पुत्र घसीड़ा जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. विमलादेवी पत्नि घसीड़ा जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. रेखादेवी पुत्री घसीड़ा जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र सिरमौहरसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजवीर पुत्र इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. दलवीर पुत्र इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. मुकेश पुत्र इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/1. रामश्री पत्नि इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर। मृतक
   4/2. काजल पुत्री मुकेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/3. करिश्मा पुत्री मुकेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/4. फूटी पुत्री मुकेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. दिनेश पुत्र इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   5/1. रवीना पत्नि दिनेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   5/2. गोपाल पुत्र दिनेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. अमरी पुत्र रूपी जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

28/3/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 18/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/29
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 28.03.2025

1. हेमन्त कुमार पुत्र रोशनलाल जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. योगेन्द्र कुमार पुत्र रोशनलाल जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मानवती पुत्री रोशनलाल जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. मनोज कुमार पुत्र घसीड़ा जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. पवन कुमार पुत्र घसीड़ा जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. विमलादेवी पत्नि घसीड़ा जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. रेखादेवी पुत्री घसीड़ा जाति नाई निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र सिरमौहरसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजवीर पुत्र इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. दलवीर पुत्र इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. मुकेश पुत्र इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर। मृतक

   4/1. रामश्री पत्नि इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

   4/2. काजल पुत्री मुकेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

4/3. करिश्मा पुत्री मुकेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

4/4. फूटी पुत्री मुकेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. दिनेश पुत्र इन्द्रसिंह जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5/1. रवीना पत्नि दिनेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5/2. गोपाल पुत्र दिनेश जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. अमरी पुत्र रूपी जाति नाई निवासी नंगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मणसिंह एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण जो वाद लडने में सक्षम हैं।
2. यह कि खाता स. 20 वाके ग्राम नंगला मई तहसील नदबई स्थित है के ख. न. 1127 रकवा 0.01, 1128 रकवा 0.02, 1129 रकवा 0.14, 1140 रकवा 0.14 किता 4 कुल रकवा 0.31 हैक्ट. तथा खाता स. 21 के ख.न. 1078 रकवा 0.05, 1079 रकवा 0.05, 1090 रकवा 0.10, 1091 रकवा 0.09, 1143 रकवा 0.15, 732 रकवा 0.27 किता 6 रकवा 0.71 वाके ग्राम नगला मई तहसील नदबई स्थित है।
3. यह है कि हाल खसरा नम्बर 732, 1078, 1079, 1090, 1091, 1127, 1128, 1129, 1140, 1145, वाके नगला मई क्रमशः साबिक खसरानम्बरान 600, 774,मिन, 874 मिन 882 मिन, 901 मिन 901 मिन,901 मिन, 905,वाके ग्राम नगला मई तहसील नदबई से बने है।
4. यह है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से वादी स. 1 लगायत 3 के पिता रोशनालाल पुत्र परसी की जाति जाट अंकित कर दी गई है तथा वादी स. 4 लगायत 7 के पिता व पति घसीड़ा पुत्र बूल[illegible] कि जाति गलत तरीके से जाट अंकित कर दी गई है। जबकि वादीग[illegible] के पिता जाति नाई से है। उक्त घसीड़ा व रोशनलाल की मृत्यु हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:11 IST
Reason: Self-Attested

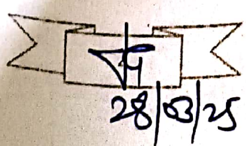

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे खातेदारी के उक्त गलत इन्द्रजात से वादीगण स. 1 लगायत 3 के पिता रोशनलाल द्वारा छोड़ी गई आराजी पर जाति जाट अंकित होने सक व जाति नाई अंकित नही होने से उनके ना दाखिला खारिज विरासतन खातेदारी नही हो पा रही है। तथा इसीकदर वादीगण स. 4 लगायत 7 के मृतक पिता घसीड़ा पुत्र बाबूलाल के आगे हाल राजस्व रिकॉर्ड में जाति जाट गलत तरीके से अंकित होने व जाति नाई नही होने से उनके नाम उक्त मृतक घसीड़ा के स्थान पर दाखिला व खातेदारी अमल दरामद तस्दीक नही हो पाई है। जिससे वादीगण के अधिकरो पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः वादीगण स. 1 लगायत 3 अपने पिता के नाम के आगे जाति जाट के सथान पर जाति नाई एवं वादी स. 4 लगायत 7 अपने पिता व पति मृतक घसीड़ा के नाम आगे जाति जाट के स्थान पर नाई दुरूस्त करा पाने एवं वादीगण को उक्त आराजी का वादीगण स. 1 लगायत 3 को 1/16 हिस्से का वा हिस्सा बराबर तथा वादीगण स. 4 लगायत 7 को 1/16 हिससे पर वा हिस्सा बराबर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा मृतक पिता रोशनलाल व मृतक पिता घसीड़ा के नाम के आगे जाति जाट के स्थान पर जाति नाई दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। व जाति जाट को कलमजन किया जावें।

6. अन्त में वादीगण द्वारा प्रार्थना कि वादी स. 1 लगायत 3 को विवादित आराजी के 1/16 हिस्से के वा हिस्सा बरावर व व वादी स. 4 लगात 7 को 1/16 हिस्से के वा हिस्सा वराबर खातेदार काबिज है तथा वादी स. 1 लगायत 3 के पिता रोशनलाल व वादी स. 4 लगायत 7 के पिताव पति घसीडा के नाम के आगे जाति जाट के स्थान पर जाति नाई दुरूस्त किया जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वास्ते साक्ष्यवादी पत्रावली नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थ[illegible] म[illegible]कल जमाबंदी संवत 2046–50, 2062–65, 2074–77 वाके ग्राम [illegible] मई, नकल मिसल बन्दोबस्त भूप्रबंध विभाग वाके ग्राम [illegible] मई, [illegible] मिलान क्षैत्रफल संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

28/3/25

Scanned with OKEN Scanner

2028 व 2060 वाके ग्राम नगला मई पेश किए गए। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी हेमनत कुमार पुत्र रोशनलाल जाति नाई निवासी नगला मई बयान पेश किए गए।

प्रतिवादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके नगला मई पेश की गई जिसमें विवादित आराजी खाता स. 20 के ख.न. 1127 रकवा 0.01, 1128 रकवा 0.02, 1129 रकवा 0.14, 1140 रकवा 0.14 किता 4 कुल रकवा 0.31 हैक्ट. तथा खाता स. 21 के ख.न. 1078 रकवा 0.05, 1079 रकवा 0.05, 1090 रकवा 0.10, 1091 रकवा 0.09, 1143 रकवा 0.15, 732 रकवा 0.27 किता 6 रकवा 0.71 वाके ग्राम नगला मई पर वादीगण स. 1 लगायत 3 के पिता रोशनलाल व वादीगण स. 4 लगायत 7 के पिता व पति घसीड़ा के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा रोशनलाल व घसीड़ा के जाति जाट का अंकन हो रहा है।हाल खसरा नम्बर 732, 1078, 1079, 1090, 1091, 1127, 1128, 1129, 1140, 1145, वाके नगला मई क्रमशः साबिक खसरानम्बरान 600, 774,मिन, 874 मिन 882 मिन, 901 मिन 901 मिन,901 मिन, 905,वाके ग्राम नगला मई तहसील नदबई से बने है। नकल जमाबंदी संवत 2046–50 वाके ग्राम मई पर वादीगण के पिता रोशनलाल व घसीड़ा के नाम खातेदारी का अंकन है जिसमें जाति नाई सा. देह का अंकन हो रहा है। एवं नकल भू प्रबंध विभाग बन्दोबस्त में भी वादीगण के पिता की खातेदारी का अंकन भी हो रहा है। जिसमें वादीगण कि जाति भी नाई का अंकन हो रहा है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे खातेदारी के उक्त गलत इन्द्रजात से वादीगण स. 1 लगायत 3 के पिता रोशनलाल द्वारा छोड़ी गई आराजी पर जाति जाट अंकित होने से व जाति नाई अंकित नही होने से उनके ना दाखिला खारिज विरासतन खातेदारी नही हो रही है। तथा वादीगण स. 4 लगायत 7 के मृतक पिता घसीड़ा पुत्र बाबूलाल के आगे राजस्व रिकॉर्ड में जाति जाट गलत तरीके से अंकित होने व जाति नाई अंकित नही होने से उनके नाम उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

28/03/25

Scanned with OKEN Scanner

मृतक घसीड़ा के स्थान पर दाखिला व खातेदारी अमल दरामद तस्दीक नही हो पाई है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजी साक्ष्य से साबित है कि वादीगण स. 1 लगायत 3 अपने पिता के नाम के आगे जाति जाट के स्थान पर जाति नाई एवं वादी स. 4 लगायत 7 अपने पिता व पति मृतक घसीड़ा के नाम आगे जाति जाट के स्थान पर नाई दुरूस्त करा पाने एवं वादीगण को उक्त आराजी का वादीगण स. 1 लगायत 3 को 1/16 हिस्से का वा हिस्सा बराबर तथा वादीगण स. 4 लगायत 7 को 1/16 हिससे पर वा हिस्सा बराबर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा मृतक पिता रोशनलाल व मृतक पिता घसीड़ा के नाम के आगे जाति जाट के स्थान पर जाति नाई दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। व जाति जाट को कलमजन किया जाना योग्य है ताि वादीगण द्वारा मौखि बयान से भी वादीगण का वाद पत्र सिद्ध होता है। अतः वादी का वादपत्र काबिल स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खाता स. 20 वाके ग्राम नंगला मई तहसील नदबई स्थित है के ख.न. 1127 रकवा 0.01, 1128 रकवा 0.02, 1129 रकवा 0.14, 1140 रकवा 0.14 किता 4 कुल रकवा 0.31 हैक्ट. तथा खाता स. 21 के ख.न. 1078 रकवा 0.05, 1079 रकवा 0.05, 1090 रकवा 0.10, 1091 रकवा 0.09, 1143 रकवा 0.15, 732 रकवा 0.27 किता 6 रकवा 0.71 वाके ग्राम नगला मई तहसील नदबई स्थित है पर वादी स. 1 लगायत 3 को विवादित आराजी के 1/16 हिस्से के वा हिस्सा बरावर व वादी स. 4 लगात 7 को 1/16 हिस्से के वा हिस्सा वराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तथा वादी स. 1 लगायत 3 के पिता रोशनलाल व वादी स. 4 लगायत 7 के पिता व पति घसीडा के नाम के आगे जाति जाट के स्थान पर जाति नाई दुरूस्त कि जाती है तथा [illegible] किये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.25 को [illegible] न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

28/02/25
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

5

Scanned with OKEN Scanner